सं.31011/4/2014-स्था. (क.IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांकः 19 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) के लिए प्राधिकृत ट्रेवल एजेन्ट से विमान यात्रा टिकट खरीदने के लिए स्पष्टीरण के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेशों का संदर्भ ग्रहण करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि छुट्टी यात्रा रियायत के समय, सरकारी कर्मचारियों को अपनी विमान यात्रा टिकट सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर्स, एयरलाइंस की वेबसाइट) से या प्राधिकृत ट्रेवल एजेन्ट अर्थात् 'मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी', 'मैसर्स अशोक ट्रेवल एण्ड टूअर्स' तथा आईआरसीटीसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2-12-2009 के का.ज्ञा. सं. 31011/6/2002-स्था. (क) द्वारा आईआरसीटीसी को प्राधिकृत स्तर तक) की सेवाओं का उपयोग करते हुए बुक कराने की आवश्यकता होती है।

2. कई मामलों में यह देखा गया है कि पूर्वोक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालय/विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी न किसी कारण के आधार पर शर्तों में शिथिलता देने की मांग करते रहते हैं। कर्मचारियों द्वारा आमतौर पर नियमों की जानकारी न होने और जहां टिकट बुक करायी गई वहां प्राधिकृत ट्रेवल एजेन्ट 'मैसर्स अशोक ट्रेवल, मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कंपनी', के उपलब्ध न होने का बहाना बनाया जाता है। जबकि ऐसे मामलों में भी एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे टिकट बुक कराने का विकल्प उपलब्ध है। किसी भी स्थिति में अन्य किसी एजेंसी से टिकट बुक करना अनुमेय नहीं है।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को उपर्युक्त दिशानिर्देशों से अवगत कराए ताकि छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली के किसी भी नियम का उल्लंघन न हो।

ह0/-

(बी. बंद्योपाध्याय)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग